



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

2-

CG 736046

14 OCT 2014

प्रदेश

1212/रूपया प्रति वर्ष किराये की दर पर लेने हेतु प्रथमपक्ष से आग्रह किया,

जिसको प्रथमपक्षने स्वीकार कर लिया। अतः दोनों पक्ष ब्रुक्सोच सम्झकर

बिना किसी डर व दबाव नाजायज के स्वस्थचित्त होकर यह किरायेदा

लीज अनुबन्ध पत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन तहरीर करते है:-

1- यह कि द्वितीयपक्ष की लीज दिनांक 30-1-2015 ईसे प्रारम्भ होगी।

2- यह कि द्वितीयपक्ष की लीज दिनांक 29-1-2045 के लिए होगी।

3- यह कि द्वितीय पक्ष लीज सम्पत्ति का इस्तेमाल मात्र अपने विधि महाविद्यालय
शाम्भू नाथ इन्स्टीट्यूट आफ लॉ इलाहाबाद के लिए ही करेगा, अन्य किसी प्रकार
के कार्यों में नहीं करेगा।

4- यह कि द्वितीय पक्ष नियत किराया हर माह/प्रतिवर्ष अग्रिम तौर पर प्रथम पक्ष को
अदा करता रहेगा।

5- यह कि द्वितीयपक्ष की लीज अवधि समाप्त होने के बाद द्वितीयपक्ष की लीज स्वत

रि. 2/2/2014

K. K. K.

